


26/02/19

वकील काडीबाण उर्फ पिणजन उल्हाव
 प्राप्त हो चुका है जहाँ सारील कोर्ट
 डिया जाकर आदेशों पर लिखा गया
 पिणजन उल्हाव पर बहस हुनी गई।
 वकील काडीबाण के उल्हाव स्वीकार (हो)
 अंतः कंपनी का बंद स्वीकार किया जासा है।
 आदेशों कि कार्य उपर दे लिखवाया।
 जाकर हुनाया गया। पञ्जाबली हुमा
 फौज होर दाखल दफ्तर को


 सहायक कलेक्टर
 (SDO) आड़मेर